

प्रेषक

निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।

सेवा में

1. हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य।
2. राज्य पुस्तकाध्यक्ष, राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, अम्बाला कैंन्ट।

यादी क्रमांक ने KW 18/106-2012 पु0 (2)

दिनांक: 10-06-2022

विषय:

आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट -2 पर लगे चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की अनुबंध अवधि बढ़ाने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में निदेशालय के ध्यान में लाया गया है कि जो सर्विस प्रोवाइडर (कोन्ट्रैक्टर) पार्ट -1 के तहत चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सेवाएं दे रहे हैं तथा चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारी पार्ट-1 के तहत कार्य कर रहे हैं, उनका कोन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है या जल्द ही खत्म होने वाला है। इन कर्मचारियों का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर अपडेट करने के लिये निगम को कारगर करने में समय लग सकता है।

अतः लाइब्रेरी काडर में स्टाफ की कमी को ध्यान में रखते हुये लाइब्रेरी का कार्य सुचारू रूप से चलाने हेतु सरकार की आउटसोर्सिंग पोलिसी पार्ट -1 के तहत ग्रुप सी0 व ग्रुप डी0 में कार्यरत कर्मचारियों तथा जो सर्विस प्रोवाइडर (कोन्ट्रैक्टर) उक्त कर्मचारियों को सेवाएं दे रहे हैं, उनकी सेवा विस्तार अवधि 30.06.2022 तक बढ़ाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

नोट :- आउटसोर्सिंग पोलिसी पार्ट -1 या पार्ट -2 में सरकार की हिदायतों दिनांक 28.09.2021 अनुसार कोई नई नियुक्ति न की जाये।

sd -

अधीक्षक पुस्तकालय
कृते: निदेशक उच्चतर शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।
दिनांक 10-06-2022

पु0 क्रमांक सम

✓ इसकी एक प्रति इन्चार्ज आईटी0सैल (For uploading on web portal) को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

020 2130
10/06/22

अधीक्षक पुस्तकालय
कृते: निदेशक उच्चतर शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।